National Journal of Advanced Research
www.nationaljournals.com
ISSN: 2455-216X
Received: 02-03-2026, Accepted: 02-04-2026, Published: 17-04-2026
Volume 12, Issue 2, 2026, Page No. 10-13

ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन में मनरेगा योजना की भूमिका

दीपक नाथ[1], डॉ. हेमा[2]

[1] शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, एसएसजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे, सोबन सिहं जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, भारत

[2] शोध निर्देशिका, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष एवम् राजनीति विज्ञान विभाग, एसएसजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे, सोबन सिहं जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (MGNREGA) ग्रामीण भारत में प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों के गारंटीकृत अकुशल रोजगार के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी कम करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह ग्रामीण विकास, टिकाऊ परिसंपत्तियों (सडक, जल संरक्षण) के निर्माण और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर आजीविका को सुरक्षित करती है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस शोध का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन करना, आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना और योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना हैं। शोध का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कैसे मनरेगा को अधिक प्रभावी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्थ को सुदृढ किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। यह कानूनी रूप से न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करती है, पलायन कम करती है, महिलाओं (1/3 अनिवार्य) को सशक्त बनाती है। यह सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों को आय प्रदान करती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढती है, और गरीबी कम होती हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर ही काम मिलने से शहरों की ओर होने वाला मजबूरन पलायन कम हुआ हैं। आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का कानूनी अधिकार भी देता है।'

मूल शब्दः ग्रामीण, गरीबी, बेरोजगारी, मनरेगा, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास

एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है, कि वहाँ सामाजिक– आर्थिक व्यवस्था के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठिभूमि में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता की कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (NREGA) नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर (MGNREGA) मनरेगा कर दिया गया। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बडा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गारन्टीयुक्त रोजगार दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5. K.M. की अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य हैं, कि सूखाग्रस्त कृषितेर और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्णरूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलो को छोड़कर देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। मनरेगा के तहत मिलने वाले बेतन के निर्धारण केन्द्र एवम् राज्य सरकारों के पास हैं।

अवधारणा और उद्देश्य

पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के व्यस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया हैं। प्रावधान के मुताबिक, मनरेगा लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही विकलांग एवम् अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुकतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिये निरदृष्टि मजदूरी के अनुसार ही किया जाता है, जब तक की केन्द्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती है यह 60 रूपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती है। प्रावधान के अनुसार आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की माँग की जाती है, आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के तहत किये जा रहे कामों के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया हैं। मनरेगा में सभी कर्मचारियों के लिये बुनयादी सुविधाओं जैसे–पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किये गये हैं ।

मनरेगा योजना में केंन्द्र और राज्य की भूमिका

मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कुल तीन कृषितरों पर धन व्यय किया जाता है। अकुशल, अर्द्ध– कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, आवश्यक सामग्री, प्रशासनिक लागत । केन्द्र सरकार अकुशल–श्रम की लागत का 100 प्रतिशत अर्द्ध– कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75 प्रतिशत सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत तथा प्रशासनिक लागत का 6 प्रतिशत वहन करती है। वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

मनरेगा योजना 2024 – 2025 के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 7491.29 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 196.30 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए हैं. हर ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। मनरेगा में डिजिटल पहलों को बढ़ावा दिया जा

रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा, जी आई–एस आधारित योजना, और आधार आधारित भुकतान प्रणाली। मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- ग्रामीण परिवारों की आजीविका स्थितियों पर मनरेगा के प्रभाव और आय स्तर में सुधार का मूल्यांकन करना।
- माँग के अनुसार अकुशल शारीरिक श्रम (100 दिन) की उपलब्धता और समय पर मजदूरी भुगतान की स्थिति की जांच करना।
- मनरेगा द्वारा ग्रामीण निर्धनता को कम करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भूमिका का अध्ययन करना।
- टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढाँचे (जैसे तालाब, सिचाई, सड़क) के निर्माण की गुणवत्ता और प्रभाव का आकलन करना।
- महिलाओं की भागीदारी, समान मजदूरी और उनके आर्थिक सशक्तिकरण का विश्लेषण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन को कम करने में योजना व प्रभावशीलता को समझना।

साहित्य समीक्षा: मनरेगा (MGNREGA) ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने और गरीबी उन्मूलन में एक क्रान्तिकारी कदम है, जो जॉब कार्ड धारकों व प्रति वर्ष 100 दिनों के गांरटीकृत अकुशल रोजगार के माध्यम से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। साहित्य समीक्षा दर्शाती है कि यह योजन महिलाओं के सशक्तिकरण (45 प्रतिशत से अधिक भागीदारी), ग्रामीण पलायन में कमी, और परिसम्पत्ति निर्माण में प्रभावी हैं, यद्यपि गजदूरी भुगता में देरी और कम कार्य दिवस चुनौतियां है।

मनरेगा योजना साहित्य समीक्षा रू प्रमुख निष्कर्ष

- **गरीबी उन्मूलन और रोजगार:** मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढाई है और गरीब परिवारों की क्रय शक्ति में सुधार किया है इसने सूखे जैसे संकट के समय सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है ।

- **महिला सशक्तिकरण:** योजना में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक (46प्रतिशत से अधिक) है, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बना रही है।

- **पलायन में कमी और परिसम्पत्ति निर्माण:** गांवों में ही रोजगार मिलने से शहरों की ओर पलायन कम हुआ है। इसके अलावा, जल संरक्षण, सड़क निर्माण और अन्य कार्यों से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे (Assets) का विकास हुआ है।

- **सामाजिक प्रभाव:** यह योजना दलितों और सीमान्त किसानों को जमींदारों की निर्भरता से मुक्ति दिलाने में सहायक रही है, जिससे सामाजिक वर्ग असंतुलन में कमी आई हैं।

मनरेगा से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियां (साहित्य समीक्षा के अनुसार)

- **भुगतान में देरी:** मजदूरी का समय पर न मिलना एक बड़ी समस्या है।

- **100 दिनों से कम रोजगार :** यद्यपि 100 दिनों की गारंटी है लेकिन औसतन 45–50 दिन ही रोजगार मिल पा रहा है।

- **जागरूकता की कमी:** ग्रामीण इलाको में कई जगहों पर अभी भी योजना के प्रति जागरूकता और प्रेरणा की आवश्यकता है।

साहित्य संमीक्षा यह स्पष्ट करती है कि मनरेगा ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है, जिसे अगर सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना सकता है।

मनरेगा योजना की प्रमुख विशेषतायें

- यह योजना काम का कानूनी अधिकार देती है, न कि केवल एक योजना है।
- ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारिरिक श्रम (Wage Employment) की गारंटी देती है ।
- आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं।
- यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो कार्यकर्ता बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं।
- कोई भी ग्रामीण वयस्क जो अकुशल शारीरिक काम करना चाहता है, वह इसमें शामिल हो सकता
- सकता है।
- काम के बदले राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक या डाकघर खातों में जमा की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है।
- मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम पखवाड़े (14 दिन) के भीतर किया जाता है।
- 1 जनवरी 2024 से आधार–आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) अनिवार्य है।
- पुरुष और महिलाओं के लिए एक समान मजदूरी दर ।
- महिलाओं को कार्यबल में प्राथमिकता (कम से कम 33प्रतिशत भागीदारी)
- यह गरीब परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है ।
- स्थानीय स्तर पर काम मिलने से ग्रामीण मजदूरों का शहरों की ओर पलायन कम हुआ है।
- यह योजना भारत के सभी ग्रामीण जिलों में लागू है।
- प्रत्येक पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जो उनकी पात्रता का प्रमाण है।
- मुख्य कार्य जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचाई नहरें, और वृक्षारोपण है।
- ग्रामीण कनेक्टिविटी (सड़क) और अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण किया जाता है।
- आमतौर पर काम घर के 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता है। यदि काम 5 किमी से दूर है, तो यात्रा भत्ता (10 प्रतिशत अधिक) दिया जाता है।
- पीने का पानी, छाया, और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएँ कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना।
- कार्यों का चयन ग्राम सभा के द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत किया जाता है।
- सामाजिक अंकेक्षण (Social audit) के अन्तर्गत कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

- काम में ठेकेदारों या बिचौलियों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। कार्यों की निरंतर निगरानी के लिए नरेगा सॉफ्ट (NREGA Soft) का उपयोग किया जाता है।
- स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन ।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एवम् मनरेगा योजना

लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जहाँ सरकार नागरिकों की सामाजिक –आर्थिक भलाई सुनिश्चित करती है। मनरेगा (MGNREGA) इस अवधारणा को साकार करने वाली भारत की सबसे बड़ी योजना है, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देकर गरीबी उन्मूलन, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देती है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामाजिक न्याय, समानता और धन के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देती हैं। यह नागरिको के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसी बुनियादी प्रावधान सुनिश्चित करती हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित है, जहाँ सरकार का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। मनरेगा योजना यह ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है, और सूखे या कृषि संकट के समय एक सेफ्टीनेट के रूप में काम करती हैं।, यह लैंगिक समानता (महिलाओं के लिए बिशेष प्रावधान) और ग्रामीण आजीविका को बढाता देती है, जिससे समावेशी विकास होता है। इसका कार्यान्वयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता जो स्थानीय भागीदारी को बढावा देता है। अर्थात, मनरेगा कल्याणकारी

है राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण रोजगार को एक वैधानि अधिकार में बदल देता है, जिससे आय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है।–

ग्रामीण रोजगार एवम् गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA–2005)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM / आजीविका – 2011)
- प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAYG–2015)
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY– 2000)
- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGS4–1999)
- प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY–2000)
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY – 2001)
- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP–1995)
- प्रधानमन्त्री जन–धन योजना (PMJDY–2014)
- प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना (PMUy–2016)
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY – 2014)
- प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (PMGY – 2000–01)
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY–NULM)
- प्रधानमन्त्री आवास योजना – शहरी (PMAY–U–2015)
- प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi– 2020)
- अमृत (AMRUT – 2015)
- स्मार्ट सिटी मिशन (2015)
- शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन (2024 – पायलट प्रोजेक्ट) प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY–2015) प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY–2015)
- अटल पेंशन योजना (APY–2015)
- आयुष्मान भारत– प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (PMJAY–2018)
- स्किल इण्डिया मिशन (2015)
- प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (PMMY – 2015)

निष्कर्ष

मनरेगा (MGNREGA) ग्रामीण भारत के लिए एक क्रान्तिकारी योजना C है, जो कानूनी रूप से 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर गरीबी कम करने, ग्रामीण पलायन रोकने और महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक है। यह टिकाऊ सम्पत्तियों का निर्माण कर ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करती हैं। हालांकि, कार्यान्वयन में कुछ कमियां (जैसे वेतन में देरी)पायी गई हैं, लेकिन इसे और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाकर ग्रामीण विकास का एक आधारस्तम्भ माना जाता है। मनरेगा योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढाया है और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया हैं। इस योजना में 1/3 महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है, जिससे महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता मिली हैं। स्थानीय स्तर पर काम मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है। योजना के तहत जल संरक्षण, सड़कों और तालाब के निर्माण से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है, कार्यान्वयन में कमियां और वेतन में देखे जैसी चुनौतियां बनी हुई है, जिनके लिए डिजिटल सुधार और सोशल ऑडिट पर जोर दिया जा रहा है।

सुझाव: मनरेगा (MGNREGA) योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मजदूरी भुगतान में तेजी, कार्य के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150–200 करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों का चयन, और डिजिटल निगरानी के साथ–साथ जमीनी स्तर पर तकनीकी सहायता प्रदान करना प्रमुख सुझाव हैं। इससे ग्रामीण रोजगार, पलायन में कमी और स्थान सम्पत्ति निर्माण को और मजबूती मिलेगी।

मनरेगा योजना में सुधार के प्रमुख सुझाव

- मजदूरी दर और समय पर भुगतान किया जाना चाहिए।
- काम के दिनों में वृद्धि कि जानी चाहिए।
- कार्यों की गुणवत्ता और प्रकार के अलावा निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिये ।
- स्थानीय योजना (Planning) एवम् जरूरत के हिसाब से काम मिलें ।
- डिजिटल तकनीकी का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- शिकायत निवारण तन्त्र को अधिक पारदर्शी बनाना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. आधिकारिक वेबसाइट (Official Website): nrega. Nic. in (मनरेगा का आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नवीनतम डेय, जॉब कार्ड सूची और दिशानिर्देश उपलब्ध है;
2. कुमार, मनीष " महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा" मधुर बुक्स दिल्ली 2006
3. MGNREGA Scheme in India: with special reference to himachal Pradesh."
4. MGNREGA: Employment. Wages and Migration in Rural India" (Routledge)
5. भारत निर्माण एवम् मनरेगा (Bharat Nirman avam Manrega)
6. मनरेगा, पंचायतीराज एवम् जनजातीय विकास" (MANREGA] Panchayati Raj avam Janjatiya Villas)

7. "भारत में लोक नीति: महात्मा गांधी नरेगा के विशेष सन्दर्भ में ' –डॉ. राम बाबू
8. MGNREGA and Women Empowerment" (Prabhat Prakashan)
9. Ww. drishtiias. com
10. www. dhyeyaias. co
11. दैनिक जागरण
12. मासिक पत्रिका आउटलुक,
13. झाडिया टुडे
14. आज तक
15. Manrega Yojna! EK Adhyayan by Dr. Dharam Tanddan
16. MGNREGA Sameeksha (Ministry of Rural Development)
17. MGNREGA and Women Empowerment by Annita Ranjan
18. MGNREGA! Employment, Wages and migration in Rural India by Parmod Kumar and Dipanwita Chakravarti.